न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 22/21 वर्ष 2021

GCMS No- 2021/66

बउनवानीः— 1. सावंलराम पुत्र छोटया मीना निवासी ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

(मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व नोटिस कमांक/भू0अवा./एन.एच.148एन/2019/181दिनांक 16.9.2019, एवं नोटिस कमांक 439 दिनांक 12.2.20220 बाबत ख0न0 2056,2057, 2065, 2064,2074,2447 वाके ग्राम डेकवा की भूमि एवं उस पर लगे हुए अमरूद्व, के पेडो की उम्र व संख्या मय बोरिंग का उचित मूल्यांकन कर मुआवजा दिलवाने बाबत।)

उपस्थितः—1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी

2. श्री अशोक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2

–: निर्णय :– **दिनांकः– 12.10.2022**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148के निर्माण हेतु प्रार्थी की अवाप्त खातेदारी भूमि ख0न0 2056 रकबा 0.0649 है0, 2057 रकबा 0.14 है0, ख0न0 2065 रकबा 0.08 है0, ख0न0 2064 रकबा 0.08, ख0न0 2074 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2447 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम डेकवा भूमि एवं उसपर उगे हुए अमरूद्व, के पेडो की उम्र एवं संख्या एवं बोरिंग का उचित मुआवजा बाबत नोटिस कमांक/भू0अवा./एन.एच.148एन/2019/181 दिनांक 16.9.2019, एवं नोटिस कमांक 439 दिनांक 12.2.2020, से जारी अवार्ड को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2056 रकबा 0.0649 है0, 2057 रकबा 0.14 है0, ख0न0 2065 रकबा [illegible] 0.08, ख0न0 2074 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2447 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम डे[illegible] एवं उसपर उगे हुए अमरूद्व, के पेडो मय बोरिंग को अवाप्त किया गया [illegible] 2056 व 2057 मे प्रार्थी के 80 पेड अमरूद्व के 5 वर्ष की आयु के थे [illegible] उम्र का [illegible] गया है। इसी प्रकार ख0न0 2064 व 2065 [illegible] वर्ष की उम्र के थे [illegible] गलत रूप से 7 वर्ष का दिखाया गया है। तथाख0न0 2074 मे 70 पेड 7 वर्ष की उम्र के थे जिन्हे सर्वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मे गलत रूप से 15 वर्ष का दिखाया गया है तथा ख0न0 2474 रकबा 0.19 है0 का बिना सर्वे किये ही अवाप्त दिखाकर उक्त ख0न0 पर खडे 20 अमरूद के पेडो की उम्र 7 वर्ष थी तथा सागवान के 23 पेडो की उम्र सर्वे के समय 16 वर्ष थी एक पेड बील का जिसकी उम्र 7 वर्ष थी एवं एक बोरिंग मय विधुत कनेक्शन ख0न0 2074 मे लगा हुआ था जिसका सर्वे चार्ट में अंकन नही किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत प्रार्थी द्वारा पूर्व मे आपत्ति प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः उक्त ख0न0 पर लगे हुए अमरूदो ,सागवान, बील के पेडो सही संख्या एवं सही आयु के अनुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2028 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अवार्ड उसके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 2056 रकबा 0.0649 है0, 2057 रकबा 0.14 है0, ख0न0 2065 रकबा 0.08 है0, ख0न0 2064 रकबा 0.08, है0 ख0न0 2074 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2447 रकबा 0[illegible] जो कि ग्राम डेकवा भूमि एवं उसपर उगे हुए अमरूद्व, के पेडो मय बोरिंग होने के कारण [illegible] राशि बाबत हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की [illegible]यक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस के अनुसार ग्राम डेकवा का उक्त ख0न0 2056,2057,2065,2064,2074,2447एनएच 148एन के निर्माण हेतु अवाप्त हुआ है उक्त भूमि पर प्रार्थी सावंलराम व बद्री पुत्र छोटया हिस्से अनुसार तथा खातेदार बद्री की सहमति अवाप्त भूमि पर स्थापित संरचना/पेडो एवं बोरिंग के अवार्ड का भुगतान दिनांक 27.10.2021 एवं 24.11.2021 को किया जा चुका है। जहॉ तक अमरूद्व के पेडों की संख्या एवं आयु का गलत निर्धारण बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अमरूद्वों के पेडो की आयु एवं संख्या का निर्धारण वन विभाग, सहायक निदेशक उद्यान विभाग सवाईमाधोपुर से करवाये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाकर तदानुसार अवार्ड पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत अपने जवाब मे अंकित किया है।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम डेकवा के ख0न0 2056,2057,2065,2064,2074,2447 एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को हिस्से अनुसार किया जा चुका है। प्रार्थी के अनुसार ख0न0 2056,2057 पर लगे हुए अमरूद्व के 80 पेडो की आयु 5 वर्ष के स्थान पर 17 वर्ष की दर्शायी गयी है तथा ख0न0 2064 व 2065 मे लगे हुए 87 अमरूद के पेडो की उम्र 5 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की दर्शायी गयी है तथा ख0न0 2074 मे लगे हुए 70 अमरूद के पेडो की उम्र 7 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष की दर्शायी गयी है तथा ख0न0 2447 रकबा 0.19 है0 को बिना सर्वे किये ही अवाप्त किया गया जबकि उसमे 20 पेड अमरूद के 7 वर्ष पुराने थे एवं 23 पेड सागवान के 16 वर्ष पुराने थे एवं एक बील का पेड 7 वर्ष पुराना बताया गया है। इस प्रकार उक्त पेडो की गलत उम्र बताकर कम राशि का अवार्ड पारित किया जाना बताया गया है। किन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई विधिसम्मत साक्ष्य सबूत यथा उक्त ख0न0 की 15 से 17 वर्ष पुरानी खसरा गिरदावरी रिपोर्ट पेश नही की गयी है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज से नही होती है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वकील अप्रार्थी के द्वारा किये गये कथन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष मे अमरूद्व, नीबू, बील के पेडो का पारित अवार्ड विधिसम्मत पारित किया जाना पाया गया है। अतः सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested